खरीफ विपणन वर्ष 2019–20 में धान उपार्जन कार्य से संबंधित धान परिवहन कार्य हेतु निविदा की प्री बिड बैठक दिनांक 24.09.2019 के संबंध में।

खरीफ विपणन वर्ष 2019–20 में धान परिवहन हेतु ऑनलाईन ई–निविदा दिनांक 13.09.2019 से 14.10.2019 तक आमंत्रित की गई है उक्त संबंध में प्री बिड कॉन्फ्रेंस दिनांक 24.09.2019 को मुख्यालय रायपुर में समिति के सभी सदस्यों की उपस्थिति में आयोजित की गई बैठक में परिवहनकर्ता द्वारा संयुक्त रूप से आपत्ति एवं सुझाव पत्र के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है जिसका विवरण निम्न अनुसार है :–

1. निविदा के साथ प्रत्येक जिले हेतु पृथक–पृथक ट्रक संख्या निर्धारित की गई है तथा एक जिले हेतु प्रस्तुत ट्रक दुसरे जिले हेतु प्रस्तुत करना पाया जाता है तो निविदा अमान्य होगी।

(परिशिष्ट–1 निविदा निर्देश मार्गदर्शक सूचनाए पृ. क्रमॉक –3 कण्डिका 1 उप. 1.3 (2)

कृपया तद्संबंध में अवगत होंवे कि जब तक विपणन संघ के समस्त जिलों के परिवहन निविदाकारों के नाम एवं ट्रक पंजीयन क्रमॉक की पुनरावृत्ति आदि का मिलान न हो जावे तब तक प्राईज बीड खोला जाना उचित नही है।

- **उपरोक्त संबंध में यदि परिवहनकर्ता द्वारा एक जिलें हेतु प्रस्तुत ट्रक दूसरे जिलें में प्रस्तुत करता है तो वित्तीय बीड खोलने के पश्चात् भी संबंधित निविदाकार की निविदा/अनुबंध नियमानुसार अमान्य की जावेगी। अतः संशोधन की आवश्यकता नही है।**

2. परिवहनकर्ता को धान परिवहन कार्य में नियोजित समस्त वाहन में जी.पी.एस. लगाना अनिवार्य होगा एवं जी.पी.एस. आपूर्तिकर्ताओं का निर्धारण भविष्य में विपणन संघ द्वारा किया जाना है तथा जी.पी.एस. सिस्टम पर होने वाले व्यय की राशि परिवहनकर्ता के देयक से समायोजित की जावेंगी।

(परिशिष्ट–1 निविदा निर्देश मार्गदर्शक सूचनाए पृ. क्रमॉक –3 कण्डिका 1.14)

कृपया तद्संबंध में अवगत होंवे कि धान परिवहन कार्य में नियोजित एक वाहन (ट्रक) में जी.पी.एस. सिस्टम लगवाने का व्यय कितना होगा यह उल्लेखित नही है तथा अनिश्चित है, जिसके परिणामस्वरूप कार्य की कुल लागत व्यय की गणना कर निविदा प्रस्तुत करना असम्भव है, क्योंकि अनिश्चित व्यय की गणना अव्यवहारिक है।

- **जी.पी.एस. सिस्टम लगवाने हेतु व्यय के संबंध में परिवहनकर्ता द्वारा कार्य की कुल लागत व्यय की गणना कर निविदा प्रस्तुत करना असंभव है का उल्लेख किया है। उक्त के संबंध में परिवहनकर्ता द्वारा जी.पी.एस सिस्टम का व्यय हेतु बाजार में समान्य प्रचलित दर का आंकलन कर निविदा में दर प्रस्तुत कर सकते है। अतः संशोधन की आवश्यकता नही है।**

3. वित्तीय बीड भाग 'ख' अनुसार विपणन संघ द्वारा अनुसूची की दर (SOR) तैयार किया गया है। अनुसूची की दर में लोडिंग/अनलोडिंग शामिल नही है तथा लोडिंग/अनलोडिंग दर विपणन संघ की हमाली निविदा की स्वीकृत दर के अनुसार देय होना उल्लेखित है।

(परिशिष्ट–3 भाग 'ख' वित्तीय बीड पृ. क्रमॉक – 14)

कृपया तद्संबंध में अवगत होंवे कि अद्यतन विपणन संघ के समस्त संग्रहण केन्द्रों हेतु हमाली दरें स्वीकृत नही हो पायी है, जिसके परिणामस्वरूप कुल लागत व्यय की गणना असंभव है तथा निविदा भरा जाना भी व्यवहारिक रूप से संभव नही है।

- **लोडिंग/अनलोडिंग दर के अनुमान के आधार पर परिवहनकर्ता निविदा में दर कम या अधिक भरने के लिए स्वतंत्र है।**

4. निविदा के संबंध में यदि किसी भी प्रकार का संशोधन/शुद्धि पत्र जारी किया जाता है वह निविदा का भाग माना जावेंगा जिसका प्रकाशन समाचार पत्रों में अथवा विपणन संघ के वेब साईड में अपलोंड किया जावेंगा।

(परिशिष्ट–1 निविदा निर्देश मार्गदर्शक सूचनाए पृ. क्रमॉक –11 कण्डिका 12)

कृपया तद्संबंध में अवगत होंवे कि संशोधन/शुद्धि पत्र आदि जारी करने एवं निविदा प्रस्तुत करने के मध्य पर्याप्त समय दिया जावें, जिससे संशोधन अनुसार आवश्यक वांछित दस्तावेज आदि तैयार कर निविदा में भाग लिया जा सके।

- **उपरोक्त के संबंध में यदि विपणन संघ द्वारा किसी भी प्रकार का संशोधन/शुद्धि पत्र जारी करने के पश्चात् निविदा भरने हेतु पर्याप्त समय निविदाकार को दिया जावेगा।**

5. परिवहनकर्ता को टीओ जारी होने के पश्चात 72 घंटे के अंदर परिवहन किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिति में विपणन संघ को यह अधिकार होगा कि किसी अन्य परिवहनकर्ता से परिवहन कर अंतर की राशि संबंधित परिवहनकर्ता से वसूली जावेंगी तथा आगामी वर्षो के लिए परिवहनकर्ता को कालीसूची में दर्ज किया जावेगा।

(परिशिष्ट–1 निविदा निर्देश मार्गदर्शक सूचनाए पृ. क्रमॉक –05 कण्डिका 1.3)

- **निविदा निर्देश मार्गदर्शक सूचनाए पृ. क्रमॉक –05 कण्डिका 1.13 में परिवहनकर्ता को टीओ जारी होने के पश्चात 72 घंटे के अंदर परिवहन किया जाना अनिवार्य होगा के संबंध में विशिष्ट परिस्थितियों में जिलों से प्राप्त प्रस्ताव पर मुख्यालय द्वारा निर्णय लिया जावेगा।**

06. **परिवहन कमी की कटौती परिवहनकर्ता से नही किया जाना चाहिए क्योकि सोसायटी एवं संग्रहण केन्द्र में तौल विधि एक जैसी नही है, तौल की विधि एक जैसी होनी चाहिए (तौलाई हमालों के द्वारा या तौलाई धरमकांटे के द्वारा) इसके अलावा सोसायटी का प्रतिनिधि स्वयं धरमकांटे में तौल करावें क्योंकि संग्रहण केन्द्रों में धरमकांटे के द्वारा ही अनलोडिंग की व्यवस्था है।**

- **उपरोक्त के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।**

छत्तीसगढ़ परिवहन एवं श्रमिक सहकारी समिति मर्यादित का पत्र दिनांक 23.09.2019 के माध्यम से अवलोकन करने का कष्ट करे जिसमें निविदा फार्म में प्रकाशित वांछित विवरण के बिंन्दुओं में आपत्ति एवं सुझाव दर्ज कराने का लेख है जो निम्नानुसार है :–

1. निविदा फार्म में सहकारी समिति की प्राथमिकता का उल्लेख नहीं है। जो कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विभिन्न विभागों को आदेशित किया गया है कि सहकारी समितियों को प्राथमिकता देते हुए उनके नाम टेण्डर फर्म में उल्लेखित किये जाये। (शासन के आदेश की छाया प्रति संलग्न है)

- **सहकारी समिति द्वारा निविदा, निविदा की शर्तो के अनुरूप भरने के लिए स्वतंत्र है।**

2. निविदाकार के नाम पर परिवहन कार्य हेतु गाडियां निविदाकार के नाम पर होना चाहिए ऐसा उल्लेख है। हमारी समिति सहाकारी समिति है जिसमें नाम से गाडियां नही है वो सदस्यों के नाम की गाड़ियों को लेकर हमेशा परिवहन कार्य में उपयोग करते हुए कार्य को सफलतापूर्वक सपन्न कराती है।

- **निविदा में निम्नानुसार कार्यवाही की जावेगी**

3. निविदाकर्ता के पास विगत पिछले वर्ष का 25 लाख का कार्य अनुभव होना चाहिए निविदा फार्म में ऐसा दर्शाया गया है। इसमें हमारी समिति अपना आपत्ति दर्ज कराती है एवं इस विषय में हमारा सुझाव है है कि कृपया परिवहन कार्य अनुभव में राशि की अनिवार्यता समाप्त की जानी चाहिए, क्योंकि इससे नये लोगों एवं विगत विछले वर्ष 18–19 में जिन्होने बिलासपुर जिलें में 10–15 लाख का ट्रांसपोटिग कार्य किया जाता है वो निविदाकार वर्तमान निविदा में प्रभावित हो रहे है, एवं वर्तमान निविदा में भाग लेने में उपरोक्त अनिवार्यता के कारण असक्षम हो रहे है।

- **पूर्व वर्ष की भांति कार्य अनुभव राशि निविदा में चाही गई है, अतः संशोधन की आवश्यकता नही है।**

अन्य परिवहनकर्ता से प्राप्त सुझाव :–

दुर्ग जिला में धान परिवहन का अमानत राशि कम करने बाबत् – जिला दुर्ग में पांच धान संग्रहण केन्द्र है। दुर्ग में धान परिवहन 5 लाख क्विंटल पूरे जिलें में धान परिवहन किया जाता है। जो कि बडे जिले हेतु कम है। कृपया कर इसका अमानत राशि कम करने की कृपा करें।

- **पूर्व वर्ष की भांति कार्य अनुभव राशि निविदा में चाही गई है, अतः संशोधन की आवश्यकता नही है।**